सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **227** राँची**,** सोमवार

15 चैत्र, 1938 (श०)

4 अप्रैल, 2016 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

30 मार्च, 2016

संख्या-एल0जी0-21/2015-64--लेज0 झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक **16** मार्च, **2016** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम संख्या-**08**, 2016)

प्रस्तावनाः-

बिहार राज्य के पुर्नगठन के पश्चात अविभाजित बिहार राज्य में लागू बिहार सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954 को नगर विकास विभाग के अधिसूचना संख्या-2098, दि॰-23.8.2002 के द्वारा झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के रूप में छविगृह के निर्माण एवं संचालन के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य में अंगीकृत किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 में छविगृहों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क अधिकतम 5,000/- रू॰ निर्धारित है।

चूकिं उक्त अधिनियम वर्ष 1954 में अधिनियमित हुआ है, अनुज्ञप्ति शुल्क वर्तमान बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम है। ऐसी स्थिति में वर्तमान महँगाई दर एवं बाजार मूल्य को देखते हुए अनुज्ञप्ति शुल्क में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु उक्त अधिनियम में प्रावधानित अनुज्ञप्ति शुल्क की अधिकतम सीमा को विलोपित करना आवश्यक है ।

उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में अनुज्ञप्ति शुल्क की निर्धारित अतिकतम सीमा को विलोपित किये जाने पर एक ओर जहाँ अनुज्ञप्ति शुल्क को महँगाई एवं बाजार मूल्य के अनुपात में सुसंगत रूप से निर्धारित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर शुल्क में वृद्धि होने से राज्य के राजस्व पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष झारखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ

(i) यह अधिनियम, झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii)यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000 की धारा 5 की उपधारा (2) का संशोधनः-

शब्द "सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ़ रूपये 5,000 " जो " द सेड एक्ट " के बाद लिखा हुआ है को विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी०बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची ।

विधि विभाग

अधिसूचना

30 मार्च , 2016

संख्या-एल0 जी0-21/2015-65--लेज0 झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक **16** मार्च, **2016** को अनुमत **झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

Jharkhand Cinemas (Regulation) Amendment Act,2015

(**Jharkhand Act** -**08,** 2016)

Preamble:-

Bihar Cinemas (Regulation) Act, 1954 applicable in undivided Bihar State is adopted as Jharkhand Cinema (Regulation) Act, 2000 for construction, conduction etc. of Cinema Hall vide Urban Development Department notification no.- 2098, dated- 23.08.2002 after reorganization of Jharkhand State.

The provision is made in sub-section-2 of section-5 of said Act of licensing fees for Cinema Hall subject to maximum Rs. 5,000/- is fixed.

Since the act was incorporated in 1954, the licensing fee is too less in comparison to present day cost. Thus, it is necessary to increase the licensing fee in respect of drawn rate and market value at present, so, maximum amount for licensing fee needs to be abolished.

Due to abolition of fixed maximum rate of licensing fees, in sub-section-2 of section-5 of the said act licensing fees may be decided in ratio of market rate logically and its positive effect on revenue of the State will also be enhanced accordingly.

To Amend the Jharkhand Cinemas (Regulation) Amendment Act, 2000. Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the sixty six year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title, Extend and Commencement:-

(i) This Act will be called Jharkhand Cinemas (Regulation) Amendment Act, 2015

(ii) It will be effective in the entire State of Jharkhand.

(iii) It will come into enforce from the date of notification in Official Gazette/e-Gazette.

2. Amendment in Section-5(2) of Jharkhand Cinemas (Regulation) Act, 2000:-

The words "subject to a maximum of Rs. 5,000" written after the word "the said Act" is repealed.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 227—50 ।